न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-170RAAJodhpur2026-75RTA223 Govindram Vs Gawari Dev etc

गोविन्दराम पुत्र श्री गवराजी जाति माली निवासी फलोदी जिला फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट.....

ब

ना

म

1. गवरी देवी पुत्री लिखमाराम
2. मीना पुत्री भागचन्द जातियान सुधार निवासी फलोदी जिला फलोदी
3. ओमप्रकाश पुत्र गवराराम, जाति माली
4. सुरजीदेवी पुत्री एम मोहनलाल, जाति ब्राहमण
   निवासीगण फलोदी जिला फलोदी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2026 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 27/2018 गवरीदेवी बनाम ओमप्रकाश इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2018 अनवान गवरीदेवी बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मूल वादी जेठमल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 153/466 रकबा 15 बीघा ग्राम खींचन तहसील फलोदी के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2018 के जरिये वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 12/2018 प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 30.04.2018 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर मामला पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। दौराने वाद वादी जेठमल द्वारा दिनांक 13–06–2019 को एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद को विड्रोल करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अपीलार्थी को बख्शीश कर दी है, इसलिए वह वाद को जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी जेठमल का नाम विलोपित कर दिया तथा मूल प्रतिवादी संख्या 3 व 4 यानि गवरी व मीना को बतौर वादी के रूप में स्थापित किये जाने का आदेश पारित कर अपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया तथा नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2026 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये हुए ही आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है तथा सम्पूर्ण वाद प्रक्रिया को मनमाने ढंग से चला कर अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के नोटिस तामिल होने के पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किये गये थे तथा पत्रावली को जवाब में मुकर्रर किये बगैर ही तथा बिना साक्ष्य लिये ही सीधे ही निस्तारण कर दिया, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये कि वाद में तनकी बनाई जाकर साक्ष्य के पश्चात ही निर्णय किया जावे। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई तथा न ही उनके द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साबित करवाये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जबकि वादी द्वारा अपना वाद मौखिक व लिखित साक्ष्य से साबित नही किया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से वहे अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख पाया है। इस कारण आलोच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2018 अनवान गवरीदेवी बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2026 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिनुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्सें में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मूलवाद में उभय पक्षकारान् की पूर्व में पूर्ण साक्ष्य हुई है। अपीलांट गोविंदराम पूर्व में वाद में बतौर साक्षी उपस्थित रहा है तथा उसके दो बेटों के बयान पत्रावली पर मौजूद है। मूल वादी जेठमल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा मानते हुए ही अपीलांट को भूमि बख्शीश की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 12/2018 अनवान जेठमल बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 के मुताबिक अदालत हाजा द्वारा मामला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर मामले में उभय पक्ष की पुनः सुनवाई उपरांत पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन करते हुए तनकी वाईज निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। दौराने वाद वादी जेठमल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट को बेचान कर दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने के पश्चात उसे जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा अदालत हाजा द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में मामले में रेकर्ड पर आई साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2018 अनवान गवरीदेवी बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2026 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को पूर्व निर्देशों के क्रम में पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर